

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं0सं0:-03/प्र0-05-03/2014

राँची/दिनांक :-.....

:-आदेश :-

स्व0 अनचित प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, याँत्रिक प्रमण्डल मण्डल, लातेहार को विभागीय आदेश संख्या-1547 दि0 31.05.08 द्वारा दिनांक 24.01.03 के प्रभाव से वेतनमान 10000-15200 में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-288 दि0 6.2.07 के आलोक में कार्यभारित अवधि की गणना करने के कारण पूर्व में दिनांक 24.1.03 के प्रभाव से स्वीकृत द्वितीय ए0सी0पी0 लाभ को संशोधित करते हुए इन्हें यह लाभ दिनांक 9.8.99 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

2. यह योजना 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ 15.11.2000 से देय होगा।

3. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-.....

राँची/दिनांक :-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-.....

राँची/दिनांक :-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

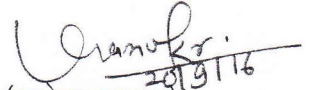
(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-.....3015.....

राँची/दिनांक :-20.09.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियन्ता, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियन्ता, याँत्रिक अंचल, लातेहार/अवर सचिव (मुख्यालय)/उप सचिव (मुख्यालय)/कार्यपालक अभियन्ता, याँत्रिक प्रमण्डल मण्डल, लातेहार/स्व0 अनचित प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, याँत्रिक प्रमण्डल मण्डल, लातेहार/प्रशाखा-02 एवं 08/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

मं
20/9